कृषि उपज मण्डी समिति, सोलन हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2012 से 31.3.2013

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(क) कृषि उपज मण्डी समिति सोलन के अवधि 1.4.2012 से 31.3.2013 के लेखाओं का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश कृषि एवं उद्यान अधिनियम 1971 की धारा 100(3) के दृष्टिगत इस विभाग द्वारा पूर्व अंकेक्षण प्रणाली के अन्तर्गत किया गया ।

(ख) अंकेक्षणाधीन अवधि 1.4.2012 से 31.3.2013 के दौरान मण्डी समिति, सोलन में अध्यक्ष तथा सचिव के पद पर निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत रहे :–

क्र0 संख्या	पदाधिकारी का नाम	पद	अवधि
1	श्री मोहन सिंह ठाकुर	अध्यक्ष	01.4.2012 से 28.12.2012
2	डा0 भानु शर्मा	सचिव	01.4.2012 से 31.03.2013

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

कृषि उपज मण्डी समिति सोलन के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2012 से 31.3.2013 में सम्मिलित आडिट पैरों की गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

कम सं0	विवरण	पैरा संख्या	राशि लाखों में (₹)
1	मण्डी शुल्क की राशि की कम वसूली करना	6	4.97
2	विपणन बोर्ड की देय मण्डी शुल्क की राशि के बारे में	8	25.13
3	मण्डी समिति द्वारा विभिन्न दुकानों व गोदामों की देय प्रतिभूति में अन्तर पाया जाना	9	2.65
4	डिपोजिट वर्कस की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	10 (क)	104.24
5	अधिशासी अभियन्ता **IPH** विभाग के नाम राशि का असमायोजित दर्शाया जाना	10 (ख)	3.57
6	आयकर विभाग के नाम राशि का असमायोजित दर्शाया जाना	10 (ग)	137.94

7	Market Fees तथा Rent की Recovery इत्यादि से सम्बन्धित Bounced Cheques की न्यायलय के माध्यम से वसूली न करने बारे	11 (क)	13.17
8	दुकानों के किराये की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	11 (ख)	24.98
9	टर्मिनल मण्डी परवाणु में पट्टे पर आंबटित दुकानों से पट्टे की वसूली योग्य राशि शेष पाया जाना	11 (ग)	22.10
10	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड को औसत खपत के आधार पर राशि के भुगतान बारे	16	0.38

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति **परिशिष्ट ''A''** पर दर्शाई गई है जिसमें गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में वसूली से सम्बन्धित अनेक आपत्तियॉ शामिल है तथा जिन पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करके अपेक्षित वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये ताकि अंकेक्षण पैरों का निस्तांरण सम्भव हो सके।

भाग–2

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

मण्डी समिति, सोलन के अवधि 1.4.2012 से 31.3.2013 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री राम सिंह चौहान अनुभाग अधिकारी तथा श्री अमर दत्त, लेखा परीक्षक द्वारा पूर्वाकेंक्षण प्रणाली के आधार पर किया गया ।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

निवासी अंकेक्षण योजना, मण्डी समिति सोलन में कार्यरत अनुभाग अधिकारी तथा लेखा परीक्षक का अंकेक्षणाधीन अवधि का अंकेक्षण शुल्क ₹14,21,469 आंका गया, जिसे मण्डी समिति द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्याः 003742 दिनांक 18.12.2013 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को प्रेषित कर दिया गया है ।

4 (क) वित्तीय स्थिति एवं विश्लेषणः–

मण्डी समिति सोलन द्वारा प्रस्तुत समिति की अवधि 1.4.2012 से 31.3.2013 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत ब्यौरा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न **परिशिष्ट ''क''** पर भी दिया गया है।

1.4.2012 को प्रारम्भिक शेष	8,88,34,763.68
वर्ष के दौरान प्राप्तियॉ (**विवरण परिशिष्ट– ''ख–1''**)	5,71,81,853.70
कुल योग	**14,60,16,617.38**
वर्ष के दौरान भुगतान (**विवरण परिशिष्ट– ''ख–2''**)	3,01,99,803.00
31.3.2013 को अन्तिम शेष (Bounced Cheques ₹13,17,936.00 (Cash and Bank ₹11,44,98,878.38)	11,58,16,814.38

बैंकों के अनुसार अन्तिम शेष का विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

विभिन्न बैंकों के बचत खातों में जमा राशि (**विवरण परिशिष्ट– ''क''**)	22,46,828.38
सावधि जमा में निवेश (**विवरण परिशिष्ट– ''घ़''**)	11,14,56,310.00
हस्तगत शेष	7,95,240.00
स्थाई अग्रिम	500.00
कुल योग	**11,44,98,878.38**

(ख) बैंक समाधान विवरणीका :–

मण्डी समिति सोलन की विभिन्न बैंक खातों की दिनांक 31.3.2013 को बैंक समाधान विवरणीका का विवरण **परिशिष्ट (''ग–1 से ग–3'')** में दिया गया है ।

(ग) मण्डी समिति सोलन द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में सावधि जमा योजना निवेशित राशियों का विवरण **परिशिष्ट ''घ''** पर दिया गया है।

(घ) ₹2,996 को जमा न करवाने बारे :–

जोग्रिन्दा सैंन्ट्रल को–ओपरेटिव बैंक, परवाणू के बचत खाता सं0 716 की जांच करने पर पाया गया कि टर्मिनल मण्डी परवाणू के कारोबारी द्वारा दिनांक 12.3.2012 को **₹**2296 का चैक सं0 6592 मण्डी समिति, सोलन को बतौर मण्डी शुल्क के भुगतान हेतु जारी किया गया परन्तु उक्त राशि बैंक खाते में अभी तक जमा नहीं हुई है। अतः सम्बन्धित कारोबारी से उक्त राशि की वसूली करके इसे मण्डी समिति के खाते में शीघ्र जमा करवाना जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

5 बचत खातों में आवश्यकता से अधिक राशि जमा रखने से ब्याज के रूप में निरन्तर हानि बारे :–

मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत लेखों की जांच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा जोंगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक, नालागढ़ जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक परवाणु तथा पंजाब नैशनल बैंक सोलन के बचत खातों में आवश्यकता से अधिक राशि रखी गई है। बचत खातों पर ब्याज की दर सावधि निवेश पर प्राप्त होने वाले ब्याज दर की तुलना में बहुत ही कम होती है जिसके कारण मण्डी समिति को ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय की हानि हो रही है। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि संस्था स्तर पर आवश्यक जांच करके तथा नियमित दैनिक खर्चों का आंकलन करने के उपरान्त मण्डी समिति के समस्त बचत खातों में जहां भी आवश्यकता से अधिक राशि शेष है, को समय–समय पर सावधि जमा में निवेश करके मण्डी समिति को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय अर्जित करने के प्रयास किए जाएं ताकि ब्याज के रूप में मण्डी समिति को हो रही वित्तीय हानि को रोका जा सके।

6 मण्डी शुल्क की ₹4,97,256 की कम वसूली करना :–

मण्डी समिति को वर्ष 2010–2011 व 2011–2012 में प्राप्त हुऐ मण्डी शुल्क की जांच करने पर पाया कि मण्डी समिति सोलन के कारोबारियों/कमीशन एजेन्टों से उनके नाम के आगे दशाई गई देय राशि ₹4,97,256 मण्डी शुल्क की कम वसूली की गई जिसका विवरण **परिशिष्ट "ङ"** पर दिया गया है जिसे अब हि0 प्र0 कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम, 2006 के नियम 37(8) के प्रावधान के अनुसार जुर्माना राशि सहित वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

7 वित्त वर्ष 2012–2013 के तुलन पत्र तथा वित्तीय स्थिति के आंकड़ों में पाई गई भिन्नता के बारे में:–

सचिव मण्डी समिति, सोलन द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2012–13 के तुलन पत्र को **परिशिष्ट "च"** पर संलग्न किया गया है जिसके प्रारम्भिक शेष वर्ष 2011–12 के तुलन पत्र से लिए गए हैं। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2012–13 की वित्तीय स्थिति के आंकड़े वर्ष 2012–13 के तुलन पत्र में दिए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

8 विपणन बोर्ड की देय मण्डी शुल्क की ₹2513723/– के बारे में:–

मण्डी समिति के तुलन पत्र के अनुसार दिनाँक 31.3.2013 को मण्डी शुल्क की ₹2513723/– विपणन बोर्ड को देय थी परन्तु न तो मण्डी समिति द्वारा उक्त राशि का विवरण दिया गया और न ही इसका मिलान विपणन बोर्ड से किया गया। अतः उक्त देय राशि का पूर्ण विवरण देकर तथा इसका विपणन बोर्ड में मिलान करके तदानुसार इस राशि को विपणन बोर्ड में जमा करना अथवा इसे समायोजित करना सुनिश्चित किया जाए।

9 मण्डी समिति द्वारा विभिन्न दुकानों व गोदामों की देय प्रतिभूति में ₹2,65,416.50 का अन्तर पाया जाना :–

मण्डी समिति सोलन द्वारा **परिशिष्ट–"च"** पर दर्शाए गए वर्ष 2012–2013 के तुलन पत्र में विभिन्न दुकानों /गोदामों की देय प्रतिभूति (Security Payable) में ₹52,23,677.50 की राशि दर्शाई गई है जबकि **परिशिष्ट–"छ"** में अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई विवरणिकाओं के अनुसार देय प्रतिभूति की ₹49,58,261 दर्शाई गई है। अतः तुलन पत्र तथा उक्त **परिशिष्ट–"छ"** में देय प्रतिभूति में ₹2,65,416.50 का अन्तर पाया गया जिसका शीघ्र मिलान करके देय प्रतिभूति की सही राशि का आंकलन करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2011–2012 में उक्त राशि का अन्तर ₹30,71,589.50 था जोकि 31.3.2013 को कम हो कर ₹2,65,416.50 रह गया है। अतः उक्त राशि के अन्तर में 2012–13 में जो कमी आई है उसके कारणों को भी दस्तावेजों सहित लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया जाए ।

10 **Loans & Advances:-**

(क) डिपोज़िट वर्कस की ₹10424981/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :–

मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत लेखों के अनुसार दिनांक 31.3.13 को ₹1,04,24,981 तुलन पत्र के **Scheduled-7** तथा **परिशिष्ट "ज"** के अनुसार हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के पास असामायोजित दर्शाई गई है जिसके उपयोगिता प्रमाण पत्र बोर्ड से शीघ्र–अतिशीघ्र प्राप्त करके उक्त राशि का समायोजन करना सुनिश्चित किया जाए तथा इस राशि के समर्थन में विपणन बोर्ड द्वारा जारी मिलान पत्र भी अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाए।

(ख) अधिशाषी अभियन्ता **IPH** विभाग के नाम ₹3,57,700/– का असमायोजित दर्शाया जाना :–

समिति द्वारा बिल0 सं0 93 दिनांक 1.6.2012 के अन्तर्गत अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग सोलन मण्डल सोलन को सब्जी मण्डी सोलन में लगे हैण्ड पम्प की मुरम्मत करवाने हेतु ₹10,000 का भुगतान किया गया जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र मण्डी समिति को प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्त के अतिरिक्त वित वर्ष 2011–12 के दौरान बिल सं0 184 दिनांक 11.7.2011 के अन्तर्गत भी अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग सोलन मण्डल सोलन को अग्रिम ₹3,57,700 का भुगतान टर्मिनल मण्डी परवाणू में टयूब वेल लगवाने हेतु किया गया था परन्तु न तो मण्डी समिति द्वारा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से ₹3,47,700 के व्यय से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख प्राप्त किए गए तथा न ही उक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र ही प्राप्त किए गए। इस सम्बन्ध में समिति की वर्ष 2011–2012 की अंकेक्षण रिपोर्ट के पैरा सं0 10 (ख) द्वारा भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया था परन्तु समिति द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अतः अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग सोलन से ₹3,57,700 (तुलन पत्र के Scheduled-7 में संदर्भित) के अभिलेख/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके असामायोजित का समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) आयकर विभाग के नाम ₹13794175/–का असमायेाजित दर्शाया जानाः–

मण्डी समिति के वर्ष 2012–13 के तुलन पत्र की अनूसूची–7 में आयकर विभाग को दी गई ₹13794175/– असमायोजित दर्शाई गई है। इस प्रकरण में अंकेक्षण द्वारा जांच करने पर पाया गया कि यह राशि समय–समय पर आयकर विभाग द्वारा मण्डी समिति की आय पर लगाये गये आयकर के भुगतान से सम्बन्धित है। उक्त राशि में मण्डी समिति सोलन द्वारा देय तिथि तक आयकर की रिर्टन दाखिल न करने के कारण भुगतान की गई जुर्माने की ₹3240779/–भी सम्मिलित थी जिसे आयकर आयुक्त के समक्ष अपील के मध्यनजर वर्ष 2012–13 के दौरान मण्डी समीति को वापिस (Refund) भी कर दिया गया था। आयकर विभाग को भुगतान की गई राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	वित्त वर्ष	आयकर की अदा की गई राशि	आयकर विभाग द्वारा वापिस की गई राशि (**Refund**)	आयकर विभाग को अदा की गई राशि का संचित योग
1	2006—07	4410343	—	4410343
2	2007—08	—	—	4410343
3	2008—09	4830550	—	9240893
4	2009—10	7794061	—	17034954
5	2010—11	—	—	17034954
6	2011—12	—	(—)3240779	13794175
7	2012—13			

चूकि आयकर अधिनियम की धारा 10 (26—एएबी) के अन्तर्गत विपणन समितियों/बोर्ड की आय को दिनांक 1.4.2009 से कर मुक्त कर दिया गया है। अतः दिनांक 1.4.2009 के उपरान्त मण्डी समिति द्वारा कोई भी आयकर अदा नहीं किया गया है तथा उक्त तिथि से पूर्व की आय पर किये गये भुगतान की वसूली हेतु आयकर कमिश्नर के समक्ष अपील की गई थी जिसे देखते हुए ₹13794175/—का आयकर अग्रिम मानकर अनूसूची—7 में दर्शाया गया है। अतः उक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 (क) **Market Fees तथा Rent की Recovery इत्यादि से सम्बन्धित ₹1317936/—के Bounced Cheques की न्यायलय के माध्यम से वसूली न करने बारेः—**

अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न मण्डी समिति के वर्ष 2012—13 के तुलन पत्र के "Current Assets" से सम्बन्धित Schedule-8 में प्रदर्शित "Market Fees" तथा Rent की Recovery इत्यादि से सम्बन्धित ₹1317936/—के "Bounced Cheques" मण्डी समिति को प्राप्त हुए थे जिसका विवरण निम्नानुसार हैः—

Name of the Trader	Sr.No.	Cheque No.	Date	Amount (₹)	Remarks
M/S Gramin Krishak	1	873783	31-3-2011	300000	Market Fee

Co-operative Socity Shop No.5					
	2	873782	31-3-2011	272000	Market Fee
M/S Rajeev Kumar Sanjeev Kumar Shop No. 29	3	862737	31-3-11	48916	Market Fee
	4	862736	31-3-2011	200000	Market Fee
	5	862734	31-3-2011	250000	Market Fee
	6	862735	31-3-2011	200000	Market Fee
M/S Sanjeev Kumar Shop No. 19 T.M. Parwanoo	7	520600	3-8-2010	47020	Rent
			Total	**1317930**	

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) विधकय 2005 की धारा 40 (4) की शर्तों के अनुसार यदि आवेदक/कारोबारी हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय अधिनियम नियम व उपनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लघन करता है तो उस अवस्था में उसे आवश्यक नोटिस जारी करके उसके पंजीकरण को निरस्त किये जाने का प्रावधान है परन्तु मण्डी समिति द्वारा "Bounced Cheques" से सम्बन्धित मामलों को न्यायालय के समक्ष लाने के बावजूद भी न तो सम्बन्धित कारोबारियों के पंजीकरण को रद्द किया गया और न ही उनके कारोबार को रोका गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त बकाया राशि की वसूली न्यायालय के माध्यम से करने के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 45 (3) के अन्तर्गत कार्रवाई करने पर विचार किया जाए तथा वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) दुकानों के किराये की ₹24,98,786 का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत बकाया किराया सूची के अनुसार दिनांक 31.3.13 को **परिशिष्ट–''झ''** और तुलन पत्र Scheduled–8 के अनुसार ₹24,98,786 की राशि विभिन्न मार्केट यार्डो के विभिन्न आबंटियों से वसूली हेतु शेष दर्शाई गई है जिसकी समयवद्व वसूली न होने के कारण जहाँ एक ओर तो मण्डी समिति को वसूली योग्य बकाया किराये की राशि में वृद्वि हो रही है वहीं दूसरी ओर मण्डी समिति को निवेश पर प्राप्त होने वाले ब्याज के लाभ से भी वंचित होना पड़ रहा है। अतः उक्त आबंटियों से उनसे बकाया राशि को आंबटन नीति एवं अधिनियम की शर्तों के अनुसार प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(ग) टर्मिनल मण्डी परवाणु में पट्टे पर आबंटित दुकानों से पट्टा की वसूली योग्य ₹22,10,279 शेष पाया जाना :–

मण्डी समिति सोलन द्वारा टर्मिनल मण्डी परवाणु में विभिन्न कारोबारियों को पट्टे पर दुकाने आंबटित की गई है जिनसे वर्ष 2012–13 के प्रारम्भ में ₹3796440 की वसूली की जानी शेष थी तथा जिसमें से वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान ₹1586161 की वसूली की गई तथा दिनांक 31.3.2013 को ₹22,10,279 अभी भी वसूली हेतु शेष है जिसका विवरण तुलन पत्र scheduled–8 के अतिरिक्त **परिशिष्ट ''ण''** पर दिया गया है। अतः उक्त राशि वसूली हेतु उचित पग उठाए जाने सुनिश्चित किए जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

12 कार्यालय वाहन संख्या एच0पी0 12 ए–0006 की निर्धारित औसत से कम दर्शाने पर ₹18,691 की वित्तीय हानि के बारे में:–

मण्डी समिति सोलन के कार्यालय वाहन संख्याः एच0 पी0–12 ए–0006 की अवधि 12/2010 से 5/2012 की लॉग बुक जांच करने पर पाया गया कि कार्यालय आदेश सं0 ए/एस एम सी–1–55/2001–2128–30, दिनांक 21.5.2010 के अन्तर्गत अवधि 6/2010 से 25.8.2011 के दौरान उक्त वाहन की औसत 9 कि0 मी0 प्रति लीटर और कार्यालय आदेश सं0 ए/एस एम सी–1–55/1862, दिनांक 26.8.2011 द्वारा अवधि 26.8.2011 से 5/2012 के दौरान वाहन की औसत 8 कि0मी0 प्रति लीटर निर्धारित की गई थी परन्तु जांच करने पर वाहन की उक्त निर्धारित औसत से भी कम औसत पाई गई है जिसके कारण मण्डी समिति को ₹18,691 की वित्तीय हानि हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

Month	**Avg. fixed**	**Avg. given**	**K.M. Travell -ed**	**Diesel consu-med**	**Diesel to be con-sumed**	**Excess diesel consumed in Ltrs.**	**Rate of diesel per ltr.**	**Amt. to be reco-vered (₹)**
12/10	9	9.03	921	102	---	---	---	---
01/11	9	8.13	1277	157	142	15	38.26	573.90
02/11	9	6.85	1727	252	192	60	38.26	2295.60
03/11	9	6.17	469	76	52	24	38.26	918.24
04/11	9	7.85	1206	154	134	20	38.26	765.20
05/11	9	7.63	1503	197	167	30	38.26	1147.80
06/11	9	8.23	1252	152	139	13	38.26	497.38
07/11	9	7.69	1547	201	172	29	40.30	1168.70

08/11	9	7.57	1764	233	196	37	40.30	1491.10
09/11	8	7.22	2309	320	289	31	40.30	1249.30
10/11	8	6.99	1538	220	192	28	40.30	1128.40
11/11	8	7.86	1086	138	136	2	40.30	80.60
12/11	8	5.15	1439	279	180	99	40.30	3989.70
01/12	8	7.68	1266	165	158	7	40.30	282.10
02/12	8	9.82	491	50	---	---	---	---
03/12	8	5.81	902	155	113	42	40.30	1692.60
04/12	8	9.66	1981	205	---	---	---	---
05/12	8	5.71	691	121	86	35	40.30	1410.50
Total amount to be recovered ₹18691.12 or say **₹18691.00**								

अतः ₹18,691 की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से तुरन्त अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 **वाहन संख्या एच0पी0–12 ए–0066 में क्षमता से अधिक डीजल भरवाने बारेः–**

इसके अतिरिक्त उक्त वाहन संख्याः एच0 पी0–12 ए–0006 की लॉग बुक की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 1.12.2010 को वाहन में 55 लीटर डीजल वाहन की अधिकतम क्षमता के अनुसार भरा गया तथा दिनांक 8.12.2010 को पुनः 39 लीटर डीजल भरा गया। दिनांक 1.12.2010 से 8.12.2010 के दौरान वाहन को मात्र 237 कि0 मी0 ही चलाया गया। इस प्रकार वाहन द्वारा 9 कि0 मी0 प्रति लीटर की दर से 237 कि0 मी0 की दूरी तय करने के लिए मात्र 26.33 लीटर डीजल की खपत हो सकती थी तथा वाहन में कम से कम 26 लीटर डीजल का शेष रहना अपेक्षित था तथा पुनः मात्र 29 लीटर डीजल ही भरा जा सकता था। अतः यह स्पष्ट किया जाए कि 26 लीटर डीजल के स्थान पर 39 लीटर डीजल कैसे भरा गया अन्यथा अधिक दर्शाए गए 13 लीटर के डीजल के मूल्य की वसूली वाहन के चालक से की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त निमनविवरणानुसार भी उक्त वाहन में 1.5.2012 से 10.5.12 के दौरान वाहन की अधिकतम क्षमता 55 लीटर से अधिक डीजल खरीदा/भरा गया है।

Date	Diesel purche-sed (Ltr.)	Total Diesel	Km. Travel-led	Avg. fixed	Diesel consumed (As per Avg.)	Balance of Diesel in Tank.	Excess Diesel above the capacity of tank (i.e.55 Ltr.)
1-5-12	--	-	-	--	Bal. B/F.	55 Ltr.	--
1-5-12	41	96	71	8Km/Ltr.	8.88	87.125	32.125

2-5-12	--	87.125	158	8Km/Ltr.	19.75	67.375	12.375
4-5-12	--	67.375	26	8Km/Ltr.	3.25	64.125	9.125
5-5-12	38	102.125	58	8Km/Ltr.	7.25	94.875	39.875
6-5-12	-	94.875	82	8Km/Ltr.	10.25	84.625	29.625
8-5-12	37	121.625	114	8Km/Ltr.	14.25	107.375	52.375
9-5-12	-	107.375	178	8Km/Ltr.	22.25	85.125	30.125
10-5-12	-	85.125	5	8Km/Ltr.	0.625	84.5	29.5

उक्त विवरण के अवलोकन से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि वाहन के चालक द्वारा समय–2 पर डीजल टैंक की अधिकतम क्षमता 55 लीटर से अधिक डीजल भरा है जोकि तर्कसंगत नहीं है। अतः सम्बन्धित चालक से डीजल टैंक की अधिकतम क्षमता से अधिक डीजल भरे जाने बारे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए एवं इस पूरे प्रकरण की जांच करके ठोस तथ्यों सहित इसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा मण्डी समिति को हुई वित्तीय हानि की भरपाई की जानी सुनिश्चित की जाए।

14 श्री ओम प्रकाश शर्मा से किराये पर ली गई निजी टैक्सी का अनुचित प्रयोग करना :–

हि0 प्र0 विपणन बोर्ड द्वारा मण्डी समिति सोलन को श्री ओम प्रकाश शर्मा से किराये पर निजी टैक्सी उपलब्ध करवाई गई थी। उक्त टैक्सी की लॉग बुक की जाँच पर पाया गया कि उक्त टैक्सी का उपयोग मण्डी समिति के विभिन्न प्रकार कार्यों को निपटाने हेतु किया जा रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक के पत्र संख्या एमएमबी/ओ एस (2)–13/96–2254 दिनांक 7.3.2007 द्वारा यह दिशा निर्देश जारी किये गये हैं कि वाहन का उपयोग संयुक्त रूप से व उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही नाके आदि लगाने के लिये ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। अतः उक्त अनियमितता को भी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

15 प्रवास के लिए टैक्सी किराये पर लेने के कारण ₹2,520 का भुगतान करने बारेः–

बिल सं0 373 दिनांक 4.12.12 द्वारा अध्यक्ष, कृषि उपज समिति सोलन द्वारा सोलन से नालागढ़ तथा वापिसी के लिए टैक्सी के किराये पर लेने के लिए ₹2,520 का भुगतान किया गया परन्तु अध्यक्ष महोदय का प्रवास पर जाने के लिए प्रवास कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदत नहीं करवाया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश कृषि और औद्यानिकीय उपज विपणन (वित्तीय) नियम, 2006 के नियम 4 (3) के अनुसार अध्यक्ष कृषि समिति का प्रवास कार्यक्रम हि0 प्र0 विपणन बोर्ड से अनुमोदित होना चाहिए था। अतः उक्त प्रवास से सम्बन्धित

कार्यक्रम कों सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 हि0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड को औसत खपत के आधार पर ₹38,023 के भुगतान बारे :–

मण्डी समिति, सोलन द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार हि0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड को बिजली के औसत बिल के आधार पर ₹20,553 का भुगतान बिल सं0 609 दिनांक 26.3.12 तथा ₹17,470 का भुगताल बिल सं0 76 दिनांक 22.5.12 के अन्तर्गत किया गया है जोकि उचित नहीं हैं। अतः उक्त भुगतान के बारे में सम्बन्धित कार्यालय से सम्पर्क करके इन बिलों को ठीक करवाकर अधिक भुगतान की गई राशि को आगामी बिल में समायोजित करवाया जाए और वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम सं0	मीटर खाता सं0	गत माह में औसत युनिट खपत	बिल की अवधि	औसत यूनिट जिसके आधार पर बिल चार्ज किया गया	औसत बिल जिसका भुगतान किया गया। (₹)
1	एस0बी0–3 2000060	350 युनिट प्रति माह	25.9.11 से 3.1.12	4000 युनिट	20,553
2	सीएचसी– 2000014	115 युनिट प्रति माह	29.1.12 से 17.5.12	3456 युनिट	17,470

17 विभिन्न व्यापारियों से मण्डी शुल्क के रूप में ₹15,756 वसूली हेतु शेष पाई जाना:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित कारोबारियों/आढ़तियों द्वारा देय मण्डी शुल्क का पूर्ण भुगतान न करके आंशिक भुगतान ही किया गया है जबकि इस प्रकार के प्रकरणों में हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 2005 की धारा 75 के अन्तर्गत देय मण्डी शुल्क के पॉच गुणा तक जुर्माना राशि वसूल किये जाने का प्रावधान है। अतः निम्न विवरणानुसार ₹15756 की वसूली सम्बन्धित कारोबारियों से जुर्माना राशि सहित प्राप्त करके मण्डी समिति के खाते में जमा करवाने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए। इसके अतिरिक्त संस्था स्तर पर कारोबारियों/आढ़तियों द्वारा प्रस्तुत ''ओ'' फार्म की भी सत्यता स्त्तर पर आवश्यक जांच करके तदानुसार मण्डी शुल्क की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

फर्म का नाम	''एम'' फार्म नं0	अवधि	मण्डी शुल्क देय	भुगतान किया गया मण्डी शुल्क	शेष मण्डी शुल्क	राशि जिसका भुगतान धारा 75 के अन्तर्गत जुर्माने सहित किया जाना है ।
मैं0 नरेश कुमार ठाकुर, दुकान नं0 9 धर्मपुर	35/1369	10.6.09 से 2.7.09	4533	4168	365	2190.00
मै0 संजय कुमार शर्मा	17/1559	28.9.09 से 12.9.10	616	———	616 (12.10.09 को रसीद सं0 दर्ज नहीं थी)	3696.00
मैं0 सोहन फ्रूट एण्ड वैज0 दुकान नया नगर सबाथु	09/478 ''ओ'' फार्म	1.3.11 से 13.3.11	950	750	200	1200.00
मैं0 प्यारे लाल एण्ड संन्ज, धर्मपुर	20/1558	20.8.09 से 30.8.09	857	773	84	504.00
मैं गिरधारी लाल एण्ड संन्ज कुमारहटी	73677—79/876	6.7.09 से 30.9.09	2151	2069	82	492.00
मै0 तक्ष इन्टरप्राईजिज, परवाणु	22/1373	16.2.10 से 28.2.10	1279	———	1279	7674.00
					योगः—	**15,756.00**

18 **कृषि उपज समिति, सोलन में विभिन्न दुकानों/गोदामों/कार्यालयों को समय पर नीलाम न करने के कारण समिति को हो रही हानि के बारे में:—**

कृषि उपज समिति, सोलन में विभिन्न दुकानें/गोदाम/कार्यालय निम्नलिख्ति विवरण के अनुसार पिछले कई माह से रिक्त हैं :—

क्र0 सं0	यार्ड/सब यार्ड का नाम	दुकान/गोदाम/कार्यालय जो रिक्त है	संख्या	रिक्त की तिथि
1	सब्जी मण्डी, सोलन	गोदाम	3	29.8.12
		कार्यालय	2	
		दुकान	1	
2	सब मार्केट यार्ड, सपरून	दुकान	2	22.5.11 व 30.9.12
3	सब मार्केट यार्ड, बनलगी	दुकान	2	29.8.12
4	सब मार्केट यार्ड, कण्डाघाट	कमरे	4	31.5.2012

टर्मिनल मण्डी, परवाणू	दुकान	1	29.8.12
	कार्यालय	4	

अतः उक्त दुकानों/कार्यालयों/गोदामों को समय पर नीलाम न करने के कारण समिति को लगातार हो रही हानि के बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा रिक्त पडी दुकानों/गोदामों/कार्यालयों की निलामी हेतु उचित पग उठाएं जाएं और अनुपालना से अंकेक्षण को सूचित किया जाए।

19 बिना स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ किए मार्केट कमेटी, सोलन से लोहे के एंगल, चैनल और सीजीआई शीट को टर्मिनल मण्डी परवाणु को भेजने हेतु ₹9,850 मजदूरी और किराये इत्यादि पर व्यय करने बारे :—

बिल सं0 135 दिनांक 13.7.12 द्वारा ₹9,850 का भुगतान मार्केट कमेटी, सोलन से लोहे के एंगल, चैनल और सीजीआई शीट को टर्निमल मण्डी परवाणु को भेजने हेतु मजदूरी और किराये के रूप में किया गया परन्तु उक्त समान को मार्केट कमेटी सोलन के स्टॉक रजिस्टर से कम करके उसकी प्रविष्टि टर्मिनल मण्डी परवाणु के स्टॉक रजिस्टर में नहीं की है जिसके कारण स्टॉक की मात्रा की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः मण्डी समिति सोलन के स्टॉक से जारी की गई वस्तुओं की वास्तविक विवरणी और टर्मिनल मण्डी परवाणु में प्राप्त की गई सामान की विवरणी के अनुसार स्टॉक रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के उपरान्त शेष रही वस्तुओं का ब्यौरा भी अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 हिम काष्ठ सेल डिपू बद्दी को लकड़ी की नीलामी हेतु ₹18,220 का भुगतान करने बारे :—

बिल सं0 381 दिनांक 15.12.2012 के अन्तर्गत हिम काष्ठ सेल डिपू, बद्दी को दिनांक 8.10.12 और 9.10.12 को हुई लकड़ी की नीलामी करने हेतु मूलभूत सुविधायें प्रदान करने के लिए ₹18,220 का भुगतान निम्नलिखित मदों के लिए किया गया।

कम सं0	मद का नाम	किराया	योग
1	हाल का किराया	5610 x 2	11220.00
2	नीलामी की विडियोग्राफी	3500 x 2	7000.00
		योग	**18,220.00**

उक्त नीलामी के सम्बन्ध में न तो प्रभारी, उप मार्केट यार्ड, नालागढ़ ने इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि उक्त नीलामी उनकी उपस्थिति में हुई है और न ही हिम काष्ठ सेल डिपू बद्दी द्वारा निलामी की विडियोग्राफी सीडी और न ही नीलामी की कार्रवाई मण्डी समिति सोलन को प्रस्तुत की है। उक्त अभिलेख/दस्तावेजों के बिना नीलामी से सम्बन्धित बिल को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः उक्त अभिलेख/दस्तावेजों का ब्यौरा अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 स्टेशनरी फार्म को मुद्रित करवाने हेतु ₹65,040 का भुगतान करने बारे :–

बिल सं0 477 दिनांक 18.2.2013 के अन्तर्गत ₹65,040 का भुगतान हि0प्र0 विपणन बोर्ड शिमला को विभिन्न फार्म व रजिस्टर की आपुर्ति करने हेतु किया गया परन्तु बोर्ड द्वारा मण्डी समिति की मांग के अनुसार स्टेशनरी जारी न करके जो स्टेशनरी पहले से ही मण्डी समिति के स्टोर/स्टॉक में उपलब्ध थी उसे मण्डी समिति सोलन को जारी किया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। अतः इस अनियमितता के बारे में भी स्पष्टीकरण तथा वस्तुस्थिति को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	फार्म का नाम	फार्म/रसीद बुकें जो स्टॉक में मौजूद थी	फार्म/रसीद बुकें जो बोर्ड द्वारा जारी किए गए	टिप्पणी
1	"E" फार्म	200 पैड	1 पैड	1 पैड= 100 फार्म
2	"U" फार्म	2905 (रसीद बुके)	400 (रसीद बुक)	मण्डी समिति में एक वर्ष में औसतन 120 से 150 रसीद बुकों की खपत होती है। इस प्रकार 2905 रसीद बुकें आगामी 15 वर्षों के लिए पर्याप्त थी परन्तु बोर्ड द्वारा और 400 रसीदें बुकें जारी की है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

22 <u>अदत (**Outstanding**) मण्डी शुल्क की सूची प्रस्तुत न करना :–</u>

मण्डी समिति द्वारा दिनांक 31.3.2013 को अदत मण्डी शुल्क की सूची अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई है जिसकी अनुपस्थिति में अदत मण्डी शुल्क की राशि का आकलन नहीं किया जा सकता है। अतः शीघ्र–अतिशीघ्र मण्डी शुल्क का निर्धारण (Assessment) करके मण्डी समिति सोलन व अन्य उप–मण्डी समितियों की 31.3.2013 को अदत मण्डी शुल्क की सूची अंकेक्षण को प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाये।

23 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बिलों में की गई ₹91,778 की कटौतियॉ :–

मण्डी समिति सोलन द्वारा अवधि 1.4.2012 से 31.3.2013 के दौरान अंकेक्षण में प्रस्तुत बिलों में से पूर्वाकेंक्षण के दौरान ₹91,778 की कटौतियॉ की गई है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण द्वारा उपरोक्त दर्शाई गई कटौतियों के अतिरिक्त विभिन्न बिलों को पारित करने से पूर्व व उनमें पाई गई अनियमितताओं बारे सचिव महोदय को अवगत करवा कर आवश्यक सुधार करने के उपरान्त ही बिलों को अकेंक्षण में प्रस्तुत करने को कहा गया जिससे संस्था के लाखों रूपये के अपव्यय को रोककर मण्डी समिति को होने वाली वित्तीय हानि से रोका गया है। इससे अतिरिक्त अंकेक्षण द्वारा विभिन्न वित्तीय मामलों में भी समिति के अधिकारियों व कर्मचारियों को समय–समय पर सही दिशा–निर्देश /मार्गदर्शन दिया गया है।

24 स्थाई सम्पति में दर्शाई गई वस्तुओं बारे :–

वर्ष 2012–2013 के तुलन पत्र की Schedule 5 में दशाई गई विभिन्न चल और अचल सम्पतियों में से जो वस्तुऐं उपयोग योग्य नहीं है की सूची तैयार करके तथा संस्था स्त्तर पर आन्तरिक जॉच करके उनकी नीलामी हेतु आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि इन वस्तुओं के स्टोर में पड़े रहने से/अप्रचलित होने से इनकी सक्रेप वैल्यु में कमी आने के कारण समिति को हो रही हानि से बचाया जा सके ।

25 निष्कर्षः—

मण्डी शुल्क की समय पर एवं विहित प्रावधानानुसार वसूली हेतु विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त देय प्रति भूति के अन्तर के मिलान बारे भी उचित पग उठाए जाने की आवश्यकता है ।

हस्ता / —
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याःफिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14) 40 / 76, खण्ड—9दिनांक,12.5.2014 शिमला—171009

पंजीकृत

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, कृषि उपज समिति सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अनुभाग अधिकारी निवासी अंकेक्षण योजना मण्डी समिति सोलन तथा इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड विपणन भवन खलीनी शिमला—171002
3. अवर सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—171002
4. अनुभाग अधिकारी निवासी अंकेक्षण योजना कृषि उपज समिति सोलन, हि0प्र0

हस्ता / —

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट–''**A**''

अंकेक्षण प्रतिवेदन 2012–13 के पैरा 1 (घ) मे सर्न्दभित

पुराने ऑडिट पैरों की नवीनतम सूचीः–

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/85

1	पैरा 6	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/87

1	पैरा 24(बी)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/89

1	पैरा 11	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/91

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 16	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/96

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 14 (1 व 2)	अनिर्णीत
3	पैरा 15 (क,ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 17	अनिर्णीत
5	पैरा 18	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/99

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 29 (1,2,4)	अनिर्णीत

3	पैरा 31	अनिर्णीत
4	पैरा 41	अनिर्णीत
5	पैरा 42	अनिर्णीत
6	पैरा 43	अनिर्णीत
7	पैरा 44	अनिर्णीत
8	पैरा 45	अनिर्णीत
9	पैरा 46	अनिर्णीत
10	पैरा 48	अनिर्णीत
11	पैरा 53	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2003

1	पैरा 13(ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 14	अनिर्णीत
3	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 21	अनिर्णीत
5	पैरा 35	अनिर्णीत
6	पैरा 41	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2005

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 10 (ख, ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 12(च)	अनिर्णीत
4	पैरा 17	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
2	पैरा 11	अनिर्णीत
3	पैरा 13	अनिर्णीत
4	पैरा 14	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 10(ज)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा 5(2)	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत
7	पैरा 12	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14	अनिर्णीत
10	पैरा 15	अनिर्णीत
11	पैरा 16	अनिर्णीत
12	पैरा 18	अनिर्णीत
13	पैरा 20	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 12	अनिर्णीत
5	पैरा 13	अनिर्णीत
6	पैरा 14	अनिर्णीत
7	पैरा 16	अनिर्णीत
8	पैरा 17	अनिर्णीत
9	पैरा 18	अनिर्णीत
10	पैरा 19	अनिर्णीत
11	पैरा 20	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा 3 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 3 (घ)	अनिर्णीत
3	पैरा 3 (ङ)	अनिर्णीत
4	पैरा 3 (च)	अनिर्णीत
5	पैरा 3 (छ)	अनिर्णीत
6	पैरा 3 (ज)	अनिर्णीत
7	पैरा 3 (झ)	अनिर्णीत
8	पैरा 3 (ञ)	अनिर्णीत
9	पैरा 5	निर्णीत (सन्तोषजनक उत्तर व आवश्यक कार्रवाई उपरान्त)
10	पैरा 6	अनिर्णीत
11	पैरा 7	अनिर्णीत
12	पैरा 8	अनिर्णीत
13	पैरा 9	अनिर्णीत
14	पैरा 10	अनिर्णीत
15	पैरा 11	अनिर्णीत

16	पैरा 12	अनिर्णीत	
17	पैरा 13	अनिर्णीत	
18	पैरा 15	अनिर्णीत	
19	पैरा 16	अनिर्णीत	
20	पैरा 17	अनिर्णीत	
21	पैरा 18	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क प्राप्त पैरा समाप्त)
2	पैरा 4 (क)	निर्णीत	(संतोषजनक उतर एवं आवश्यक कार्रवाई उपरान्त)
3	पैरा 5	निर्णीत	(पैरे को वर्ष 2012–13 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया)
4	पैरा 6	निर्णीत	(संतोषजनक उतर एवं आवश्यक कार्रवाई उपरान्त)
5	पैरा 7	निर्णीत	(संतोषजनक उतर एवं आवश्यक कार्रवाई उपरान्त)
6	पैरा 8	अनिर्णीत	
7	पैरा 9	निर्णीत	(संतोषजनक उतर एवं आवश्यक कार्रवाई उपरान्त)
8	पैरा 10 (क)	निर्णीत	(पैरे को वर्ष 2012–2013 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया)
9	पैरा 10 (ख)	निर्णीत	(पैरे को वर्ष 2012–2013 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया)
10	पैरा 10 (ग)	निर्णीत	(पैरे को वर्ष 2012–13 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारस्रूपित किया गया)
11	पैरा 11	अनिर्णीत	
12	पैरा 12	अनिर्णीत	
13	पैरा 13	निर्णीत	(संतोषजनक उतर एवं आवश्यक कार्रवाई उपरान्त)
14	पैरा 14	अनिर्णीत	

15	पैरा 15	निर्णीत	(पैरे को वर्ष 2012–13 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया)
16	पैरा 16	अनिर्णीत	
17	पैरा 17	अनिर्णीत	
18	पैरा 18	अनिर्णीत	
19	पैरा 19	अनिर्णीत	
20	पैरा 20 (क)	अनिर्णीत	
21	पैरा 20 (ख)	अनिर्णीत	
22	पैरा 21	अनिर्णीत	
23	पैरा 22	अनिर्णीत	
24	पैरा 23	निर्णीत	(संतोषजनक उतर एवं आवश्यक कार्रवाई उपरान्त)
25	पैरा 24	निर्णीत	(पैरे को वर्ष 2012–13 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया)
26	पैरा 25	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	116
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्णीत किए गए गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरे	14
अन्तशेष (अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/12 तक)	102